

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)**  
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्वाकर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024/249

दायरा तिथि : 12.07.2024

आदेश तिथि : 18-09-2024

प्रार्थी :-

श्री संदीप मोटा पुत्र बाबुलाल जाति सरगरा, निवासी झालामण्ड चौराहा जोधपुर, राज.

ब न म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकॉर्ड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 18-09-2024

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सैणा तहसील बाली के खसरा नंबर 578 रकबा 0.5600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सैणा तहसील बाली के खसरा नंबर 577 रकबा 0.7400 हैक्टर व खसरा नंबर 627/575 रकबा 0.7276 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2024/1456 दिनांक 27.08.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

- यह है कि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सैणा के खसरा नंबर 578 रकबा 0.5600 हैक्टर किस्म बरानी सोयम भूमि प्रार्थी श्री संदीप मोटा पुत्र बाबुलाल जाति सरगरा, निवासी झालामण्ड चौराहा जोधपुर के नाम से खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।
- यह है कि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सैणा के खसरा नंबर 577 रकबा 0.7400 हैक्टर किस्म गै.मु. भाखर व खसरा नंबर 627/575 रकबा 0.7276 हैक्टर किस्म गै.मु. भाखर राजस्व रिकॉर्ड में राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज है।
- यह है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में खसरा नंबर 578 में आने-जाने हेतु कटान मार्ग 626/575 से नजदीकी रास्ता खसरा नंबर 627/575 व 577 में से होकर ही है।
- यह है कि प्रस्तावित रास्ता समस्त विकल्पों में से सबसे नजदीकी रास्ता है।
- यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू-भाग पर निर्माण, ढाणी या पुराना वृक्ष नहीं है।
- यह कि भू.अ. निरीक्षक बिसलपुर की जांच रिपोर्टनुसार प्रस्तावित भूमि के खसरा नंबर 627/575 व 577 की डी.एल.सी. दर 96,597 रु/- रुपये प्रति हैक्टर है।
- यह है कि ग्राम जीवदा में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	627/575	0.7276 हैक्टर	गै.मु. भाखर	137.48x09=1237.32 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
2	577	0.7400 हैक्टर	गै.मु. भाखर	33.06x09=297.54 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंसा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेज लगातार.....02



हायक क्लिक्कर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

// 02 //  
**राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gem No 2024 / 249**  
**अमान सदीप मोटा बनाम सरकार**  
**अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड को अध्ययन व दफ्तुरालय की महस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सैणा तहसील बाली के खसरा नंबर 578 रकबा 0.5600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/1456 दिनांक 27.08.2024 से नया रेकर्ड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सारकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देश/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सैणा तहसील बाली के खसरा नंबर 578 रकबा 0.5600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सैणा तहसील बाली के खसरा नंबर 577 रकबा 0.7400 हैक्टर व खसरा नंबर 627/575 रकबा 0.7276 हैक्टर में से 1237.32+297.54=1534.86 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रुपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 96,597/-रुपये प्रति हैक्टर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
627 / 575	0.7276 हैक्टर	137.48x09=1237.32 वर्गमीटर	10	12374x2=24748	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
577	0.7400 हैक्टर	33.06x09=297.54 वर्गमीटर	10	2976x2=5952	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
		कुल 1534.86 वर्गमीटर		कुल राशि 30700/- रुपये	

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 30,700/- (अक्षरे तीस हजार सात सौ रुपये मात्र ) रुपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू-अभि. बिसलपुर द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकर्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकर्ड में प्रमल दरामद के साथ नक्शा में तरगीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनाथे भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।




क्रमांक/कोर्ट/2024/2026-30  
 प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनाथे:-

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
3. पटवारी हल्का, सैणा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री सदीप मोटा पुत्र बाबुलाल जाति सरगरा, निवासी झालामण्ड चौराहा जोधपुर, राज. को सूचनार्थ।

(दिये गये दिनांक में एवं पदेन)  
 सहायक उपखण्ड अधिकारी बाली  
 दिनांक : 24-09-24

(दिये गये दिनांक में एवं पदेन)  
 सहायक उपखण्ड अधिकारी बाली



सहायक कमिश्नर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

**बालीदार, बाली**

अमर सिंह चौहान  
सू. अ. निरीक्षक - बिसलपुर  
रा. बाली, जिला-पाली